प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2022**

प्र.इ.रि.सं. 51/2022 दिनांक 17/2/22

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 7

(2) अधिनियम – धाराये ....–................

(3) अधिनियम ....–........................... धारायें..........................–...........

(4) अन्य अधिनियम व धाराये...–...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....361 समय 12:00 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिन – बुधवार दिनांक–16.02.2022 समयः 11:05 ए.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 14.02.2022 समय.– 02:00 पी.एम.।

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख दक्षिण ब्यूरो चौकी पाली से करीब 45 किमी।

(ब) पता :– आरोपी पटवारी का रहवासी किराये का मकान, गांव लापोद

....बीट सख्या.................–.................. जरायमदेही सं...–....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....–.............................जिला...............–..........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री घेवरचन्द

(ब) पिता/पति का नाम :– श्री ठाकरराम

(स) जन्म तिथि....... 27 वर्ष।

(द) राष्टीयता,:– भारतीय

(द) पासपोर्ट सख्या..................–.......................... जारी होने की तिथि ....–......

जारी होने की जगह ....–...

(र) व्यवसाय :– व्यापार

(ल) पता.:– निवासी गांव बड़गावड़ा, ग्राम पंचायत लापोद, पुलिस थाना तखतगढ, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. श्री आशीष मीणा पुत्र श्री फेलीराम जाति मीणा उम्र 27 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव धनावाड़ा, तहसील बसवा, पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा हाल पटवारी पटवार मण्डल लापोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) –

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :– ––

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :– ––

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :– ––

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली।

विषय : रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़वाने बाबत्।

महोदय जी,

मेरा निवेदन है कि मेरे गांव बड़गावड़ा में मेरे पिताजी के नाम कृषि भुमि आई हुई है। जिसके खसरा नम्बर 1225 एवं 426 है। मेरे द्वारा बैंक के लोने लेने हेतु ऑनलाईन जमाबंदी देखी गई जिसमें मेरे पिताजी का नाम ठाकरी पुत्र सरूप जाति सीरवी लिखा हुआ था। हमारी जाति रेबारी है। जमाबंदी में मेरे पिताजी की जाति को सही कराने हेतु मैने ग्राम पंचायत लापोद में हुए प्रशासन गांवो के संग केम्प के दौरान मैने प्रार्थना पत्र बड़े अधिकारियों से मार्क करवाकर हमारे गांव के पटवारी श्री आशीष मीणा को दिया था।

मैं बाद में श्री आशीष मीणा पटवारी से मिला तो पटवारी मेरे पिताजी की जाति को जमाबंदी में सही करने की एवज में मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मेरे एवं श्री आशीष मीणा पटवारी के बीच कोई लेन–देन बकाया नही है एवं कोई रंजिश नही है।

मैं भ्रष्ट पटवारी श्री आशीष मीणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करवाये।

संलग्न :–

1. जमाबंदी की छायाप्रति
2. आधार कार्ड की छायाप्रति

हस्ताक्षर
14.02.2022
नरपत चंद,
Adsp Acb पाली

हस्ताक्षर

श्री नरेश चौधरी गवाह : 15.02.2022
श्री दिलीप मेवाड़ा गवाह : 15.02.2022

प्रार्थी
हस्ताक्षर
दिनांक 14.02.2022
(घेवरचन्द पुत्र श्री ठाकररारामजी
जाति रेबारी गांव बड़गावड़ा, ग्राम पंचायत लापोद,
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली
मोबाईल नम्बर 9867769781)

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 14.02.2022 समय 2:00 पी.एम.</u>

श्रीमान्

प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार है कि इस समय परिवादी श्री घेवरचन्द पुत्र श्री ठाकरराम जाति रेबारी, गांव बड़गावड़, ग्राम पंचायत लापोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली ने मोबाईल नम्बर 9867769781 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9413881226 पर फोन कर बताया कि मैं गांव बड़गावड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की गांव में जमीन आई हुई जिसकी जमाबंदी में मेरे पिताजी की जाति सीरवी आ रही है जबकि हमारी जाति रेबारी है। जिसपर मैने गांव लापोद में केम्प के दौरान प्रार्थना पत्र अधिकारियों से मार्क करवाकर